03.12.24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप० वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2023/245

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 205/2023 . GCMS:-2023/245 **दायरा दिनांकः– 10.08.2023**

–: अनवान :–

विजयपाल पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. लालचन्द पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी 20 एल.एम. लूणीया तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. ओमप्रकाश पुत्र सांवताराम् जाति मेघवाल निवासी 2 जी.बी. हिन्दों तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. रामकुमार पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. द्रोपतीदेवी पत्नी तेजाराम
6. रणजीत पुत्र तेजाराम
7. उर्मिलादेवी पुत्री तेजाराम
8. सन्तरोदेवी पुत्री तेजाराम
9. मैनाकुमारी पुत्री तेजाराम

(5 से 9) जाति मेघवाल निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

10. पूर्णराम पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
11. चतरूराम पुत्र लाधुराम जाति खटीक निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान।
12. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. श्री अमित कुमार सैनी, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, 8, 10 व 11
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 03.12.2024

पत्रावली पेश हुई। [illegible] बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि जेरवाद भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस जी एम पटवार हल्का 7 एसजीएम के अंतिम चौस[illegible] आधार संवत 2072–2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी में खाता संख्या 60/48 में पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 11 ता 14, 17 ता 24 में 3.9720 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नाली दोयम, 0.0760 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, पत्थर नम्बर 64/365 मु.न. 37 किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10, 12/1, 13, 14 में 2.5430 हैक्टेयर नाली दोयम कुल खाता 6.5910 हैक्टेयर (नाली दोयम 6.5150 हैक्टेयर, गै.मु. रास्ता 0.0760 हैक्टेयर) दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं जिसमें वादी का हिस्सा 824/6591, प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द का हिस्सा 103/6591, प्रतिवादी संख्या 2 लालचन्द का हिस्सा 103/6591, प्रतिवादी संख्या 3 ओमप्रकाश का हिस्सा 824/6591, प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार का हिस्सा 824/6591, प्रतिवादी संख्या 5 द्रोपतीदेवी का हिस्सा 55/2197, प्रतिवादी संख्या 6 रणजीत का हिस्सा 55/2197, प्रतिवादी संख्या 7 उर्मिलादेवी का हिस्सा 164/6591, प्रतिवादी संख्या 8 सन्तरो देवी का हिस्सा 164/6591, प्रतिवादी संख्या 9 मैनाकुमारी का हिस्सा 55/2197, प्रतिवादी सख्या 10 पूर्णराम का हिस्सा 824/6591, प्रतिवादी संख्या 11 चतरूराम का हिस्सा 1442/6591 तथा वादी की माता स्व. पानादेवी का हिस्सा 824/6591 दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 व वादी की माता स्व. पानादेवी के नाम से संयुक्त खाते में वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस.जी.एम. के पत्थर नम्बर 64/364 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 12 ता 14, 17 ता 24 में 4.0480 हैक्टेयर नालीदोयम मय रास्ता तथा पत्थर नम्बर 64/365 किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10, 12/1, 13, 14 में 2.5430 हैक्टेयर नाली दोयम कुल खाता 6.5910 हैक्टेयर नाली दोयम मय रास्ता खातेदारी तथा वाके तहसील श्रीविजयनगर के चक 2 जी.बी. हिन्दों में पत्थर नम्बर 100/363 मु. न. 3 के किला नम्बर 3–4/0.506, 5/0.038, 6/0.101, 7–8/0.506, 12 ता 14/0.759, 15/0.152, 16/0.190, 17 ता 19/0.759 = 3.011 हैक्टेयर नाली द्वितीय तथा पत्थर नम्बर 110/369 मु.न. 53 के किला नम्बर 1/1/0.228, 2 ता 8/1.518 = 1.999 हैक्टेयर नाली प्रथम कुल 5.010 हैक्टेयर नाली प्रथम व द्वितीय खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। दोनो चको की भूमि पैतृक तथा वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को विरासतन प्राप्त भूमि थी। उक्त वर्णित भूमि चक 7 एसजीएम तथा चक 2 जी.बी. हिन्दों का वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा घरू बंटवारा दिनांक 15.09.2001 को कर लिया तथा बाद में वादी तथा वादी के भाई ओमप्रकाश ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ की अदालत में वाद बाबत खाता विभाजन प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 08/2012 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 23.03.2012 को मुताबिक घरू बंटवारा खाता विभाजन के डिक्री कर दिया गया। डिक्री दिनांक 23.03.2012 की इजराय प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पालना हेतु तहरीर तहसीलदार सूरतगढ़ व तहसीलदार श्रीविजयनगर को जारी की गई। इस पर इजराय तहरीर की पालना करते हुए तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा तो नामान्तरकरण डिक्री अनुसार दर्ज कर दिया परन्तु तहसीलदार सूरतगढ़ इजराय तहरीर की पालना नहीं की गई। चूंकि प्रतिवादी न. 1 व 2 द्वारा अपने नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस.जी.एम. की भूमि में अपने हिस्सा में से 1.442 हैक्टेयर भूमि ब.हि.ब. का बैयनामा वाद पत्र के प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 21.11.2008 को प्रतिवादी न. 11 चतरूराम पुत्र लाधुराम के पक्ष में निष्पादित करवा रखा था जिसका नामान्तरकरण जमाबन्दी में नहीं होने के कारण वादी द्वारा चतरूराम को पक्षकार नहीं बनाया तथा वादी को बैयनामा का ज्ञान भी नहीं था। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये पूर्व के वाद पत्र में डिक्री जारी होने के उपरान्त उसकी पालना [illegible] पूर्व ही जमाबन्दी में चतरूराम पुत्र लाधुराम का नाम आ चुका [illegible] तथा तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ [illegible] जारी डिक्री दिनांक 23.03.2012 की पालना नहीं की गई तथा ना ही कोई रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई कि डिक्री में दर्ज काश्तकारो के अलावा के एक अन्य काश्तकार चतरूराम पुत्र लाधुराम जमाबन्दी में दर्ज हो चुका हैं। इसलिए संसोधित डिक्री भी जारी नहीं हो सकी। पूर्व में जारी डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में खाता विभाजन चक 7 एस.जी.एम. व चक 2 जी.बी. हिन्दों की कुल भूमि का किया गया था जिसमें प्रतिवादी न. 3 व 4 ओमप्रकाश व रामकुमार तथा वादी की माता स्व. पानादेवी को उनका हिस्सा चक 2 जी.बी. हिन्दो तहसील श्रीविजयनगर की भूमि में खाता विभाजन में प्राप्त हुआ था। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा नामान्तरकरण मुताबिक डिक्री कर देने से उनको तो मुताबिक डिक्री के तहसील श्रीविजयनगर की भूमि में खातेदार दर्ज कर दिया परन्तु तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा डिक्री की पालना नहीं होने पर प्रतिवादी 3 व 4 ओमप्रकाश व रामकुमार व वादी की माता स्व. पानादेवी का नाम तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी में रह जाने से नाम कलमजन किये जाने योग्य हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द तथा वादी को भी कुछ हिस्सा चक 2 जी. बी. हिन्दो वाली भूमि में प्राप्त हो चुका हैं जो डिक्री दिनांक 23.03.2012 में अंकित हैं। वादी की माता पानादेवी का स्वर्गवास हो चुका हैं इसलिए उन्हें पक्षकार वाद नहीं बनाया गया हैं। वर्तमान जैरवाद भूमि चक 7 एसजीएम की कुल 6.5910 हैक्टेयर का बंटवारा पूर्व में जारी डिक्री दिनांक 23.03.2012 के अनुसार तथा खरीददार प्रतिवादी संख्या 11 चतरूराम का कब्जा काश्त इस प्रकार से हैं जो सहमति से चला आ रहा है :–

वादी विजयपाल पुत्र सांवताराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 4/1,4/2, 7, 14, 17, 24 में **1.265 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी मय गै.मु. रास्ता**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द पुत्र सांवताराम व प्रतिवादी संख्या 2 लालचन्द पुत्र सांवताराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 3/1, 3/2, 8, 13, 18/0.241(उतरी पासा) = **1.000 हैक्टेयर नालीदोयम खातेदारी मय गै.मु. रास्ता**

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 **द्रोपदीदेवी पत्नी तेजाराम, रणजीत पुत्र तेजाराम, उर्मिलादेवी पुत्री तेजाराम, सन्तरोदेवी पुत्री तेजाराम, मैनाकुमारी पुत्री तेजाराम**

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 18/0.012 हैक्टेयर(दक्षिणी पासा), 22/0.088 हैक्टेयर(पूर्वी पासा), 23/0.253 = 0.353 हैक्टेयर नाली दोयम, पत्थर नम्बर 64/365 मु. न. 37 किला नम्बर 1 ता 4, 7/0.089(उतरी पासा) = 1.101 हैक्टेयर नाली दोयम
कुल = **1.454 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

प्रतिवादी संख्या 10 पूर्णाराम पुत्र [illegible]

चक 7 [illegible] 364 मु.न. 30 किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 21, 22/0.165(पश्चिमी पासा) = **1.430 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी संख्या 11 चतरूराम पुत्र लाधुराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/365 मु.न. 37 किला नम्बर 7/0.164(दक्षिणी पासा), 8 ता 10, 12/1/0.0130, 13, 14
= **1.442 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा के रकबा को वर्षो से आपसी सहमती से घरूली बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी ने अपने हिस्सा के रकबा को भारी खर्चा लगाकर व कड़ी मेहनत करके सुधारा हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण ने वाद पत्र की मद संख्या दो व तीन में वर्णित रकबा का आपस में काफी पहले ही अपने अपने हिस्सा की भूमि का आपसी सहमती से बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु संयुक्त खाता व काश्तकारों की संख्या अधिक होने से जैरवाद रकबा को सुधारने रकम व पानी का आबयाना जमा करवाने व सहकारी समिति से अपने अपने हिस्सा की भूमि पर बीज खाद लेने व बैंक से ऋण प्राप्त करने, फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने व डिग्गी बनाने व ट्युबवैल आदि लगाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं इसलिए वादी तथा प्रतिवादीगण का मुताबिक घरू बंटवारा जो वाद पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज है, के अनुसार खाता विभाजन किया जावे। वाद पत्र प्रस्तुत करने से पांच रोज पूर्व वादी अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर दिनांक 07.07.2023 को प्रतिवादीगण के निवास चक 7 एसजीएम में गया व जैरवाद भूमि का मुताबिक घरू बंटवारा खाता विभाजन करवाने का कहा तो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया तथा कहा कि उन्हे तो अदालत से नोटिस आयेगा तब देखेगें। अतः वाद पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत करके निवेदन हैं कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अनुतोष क ता ग अनुसार डिक्री किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 5, 7, 8, 10 व 11 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा अपना इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 3, 4 बावजूद तामील हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वाद पत्र में इकबाल जवाबदावा आने पर साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली रखी गई। वादी ने स्वंय उपस्थित होकर अपने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया व प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जिरह नहीं की गई तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य प्रतिवादी में वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की तथा वाद पत्र डिक्री करने का अनुरोध किया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा भी इकबाल जवाबदावा अनुसार वाद पत्र डिक्री करने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के संयुक्त खाते में दर्ज हैं। वादी का कहना हैं कि जैरवाद भूमि तथा चक 2 जी.बी. हिन्दो तहसील श्रीविजयनगर की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की पैतृक भूमि थी तथा घरू बंटवारा पूर्व में दिनांक 15.09.2001 को [illegible] घरू बंटवारा अनुसार ही पूर्व में वाद पत्र खाता विभाजन का इसी अदालत द्वारा दिनांक 23.03.2012 को डिक्री कर दिया गया था परन्तु डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा कर दी गई जबकि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पालना नहीं की गई। जैरवाद भूमि में से 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

442 हैक्टेयर भूमि का बैयनामा प्रतिवादी न. 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था परन्तु बैयनामा के आधार पर जमाबंदी में अंकन नहीं होने के कारण उसको पक्षकार नहीं बनाया गया था और डिक्री की पूर्ण पालना नहीं होकर आंशिक पालना हो गई। प्रतिवादी न. 3 ओमप्रकाश, प्रतिवादी न. 4 रामकुमार व वादी एवं प्रतिवादीगण की माता स्व. पानादेवी का नाम जैरवाद भूमि की जमाबंदी में अंकन रह गया जबकि उनका हिस्सा उन्होने चक 2 जी.बी. हिन्दो की भूमि में ले लिया तथा डिक्री अनुसार पालना भी हो गई जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ता 10 का हिस्सा वहां की जमाबंदी में समाप्त/कम हो गया और यहां पर जैरवाद भूमि में प्रतिवादी न. 3, 4 व माता स्व.पानादेवी का हिस्सा दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 10 का हिस्सा कम हो गया। इसलिए प्रतिवादी न. 3 व 4 तथा वादी की माता स्व0 पाना देवी का नाम कलमजन किये जाने योग्य हैं। पत्रावली के साथ संलग्न डिक्री दिनांक 23.03.2012 के अवलोकन से उक्त तथ्य साबित होते हैं। डिक्री दिनांक 23.03.2012 की पालना नहीं होने से हिस्सा कसी कम ज्यादा हो गई हैं। वाद पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज घरू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन का अनुतोष भी चाहा हैं जिसमें सभी वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत हैं। इसलिए वाद पत्र वादी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि चक 7 एस.जी.एम. पटवार हल्का 7 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ के अंतिम चौसला आधार संवत 2072–2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 60/48 में पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 के किला नम्बर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 11 ता 14, 17 ता 24 = 3.972 हैक्टेयर नाली दोयम, गै.मु. रास्ता 0.0760 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 64/365 मु.न. 37 किला नम्बर 1 ता 10, 12/1, 13, 14 = 2.5430 हैक्टेयर नाली दोयम कुल खाता 6.5910 हैक्टेयर नाली दोयम मय गै.मु. रास्ता में से प्रतिवादी न. 3 ओमप्रकाश पुत्र सांवताराम, प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार पुत्र सांवताराम व पानादेवी पत्नी स्व. सांवताराम का नाम जमाबंदी में से कलमजन किया जाता हैं तथा शेष सहखातेदारो का निम्न अनुसार खाता विभाजन किया जाता हैं :–

वादी विजयपाल पुत्र सांवताराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 4/1,4/2, 7, 14, 17, 24 में **1.265 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी मय गै.मु. रास्ता**

प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द पुत्र सांवताराम व प्रतिवादी संख्या 2 लालचन्द पुत्र सांवताराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 3/1, 3/2, 8, 13, 18/0.241(उतरी पासा) = **1.000 हैक्टेयर नालीदोयम खातेदारी मय गै.मु. रास्ता**

Signature Not Verified

द्रोपदीदेवी पत्नी तेजाराम, रणजीत पुत्र तेजा[illegible]लादेवी पुत्री तेजाराम, सन्तरोदेवी पुत्री तेजाराम, मैनाकुमारी पुत्री तेजाराम

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 [illegible] 30 किला नम्बर 18/0.012 हैक्टेयर(दक्षिणी पासा), 22/0.088 हैक्टेयर([illegible] पासा), 23/0.253 = 0.353 हैक्टेयर नाली दोयम, पत्थर नम्बर 64/365 मु.न. 3[illegible] किला नम्बर 1 ता 4, 7/0.089(उतरी पासा) = **1.101 हैक्टेयर नाली दोयम**

कुल = **1.454 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी संख्या 10 पूर्णराम पुत्र सांवताराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 21, 22/0.165(पश्चिमी पासा) = **1.430 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

प्रतिवादी संख्या 11 चतरूराम पुत्र लाधुराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/365 मु.न. 37 किला नम्बर 7/0.164(दक्षिणी पासा), 8 ता 10, 12/1/0.0130, 13, 14 = **1.442 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

उक्त अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग किया जाता हैं। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **परचा डिक्री** ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: **अनवान** :–

विजयपाल पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....**वादी**

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. लालचन्द पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी 20 एल.एम. लूणीया तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. ओमप्रकाश पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी 2 जी.बी. हिन्दों तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. रामकुमार पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. द्रोपतीदेवी पत्नी तेजाराम
6. रणजीत पुत्र तेजाराम
7. उर्मिलादेवी पुत्री तेजाराम
8. सन्तरोदेवी पुत्री तेजाराम
9. मैनाकुमारी पुत्री तेजाराम

} जाति मेघवाल निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

10. पूर्णराम पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
11. चतरूराम पुत्र लाधुराम जाति खटीक निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान।
12. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

.....**प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 205 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री विनोद कुमार बिश्नोई व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 श्री अमित कुमार सैनी व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरबाद भूमि चक 7 एस.जी.एम. पटवार हल्का 7 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ के [illegible] सला आधार संवत 2072–2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से [illegible] के खाता [illegible] 48 में पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 के किला नम्बर 3/1, [illegible] 8, 11 ता 14, 17 ता 24 = 3.972 हैक्टेयर नाली दोयम, गै.मु. रास्ता 0.0760 हैक्टेयर [illegible] पत्थर नम्बर 64/365 मु.न. 37 किला नम्बर 1 ता 10, 12/1, 13, 14 = 2.5430 हैक्टेयर नाली दोयम कुल खाता 6.5910

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हैक्टेयर नाली दोयम मय गै.मु. रास्ता में से प्रतिवादी न. 3 ओमप्रकाश पुत्र सांवताराम, प्रतिवादी संख्या 4 रामकुमार पुत्र सांवताराम व पानादेवी पत्नी स्व. सांवताराम का नाम जमाबंदी में से कलमजन किया जाता हैं तथा शेष सहखातेदारो का निम्न अनुसार खाता विभाजन किया जाता हैं :–

वादी विजयपाल पुत्र सांवताराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 4/1,4/2, 7, 14, 17, 24 में **1.265 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी मय गै.मु. रास्ता**

प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द पुत्र सांवताराम व प्रतिवादी संख्या 2 लालचन्द पुत्र सांवताराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 3/1, 3/2, 8, 13, 18/0.241(उतरी पासा) = **1.000 हैक्टेयर नालीदोयम खातेदारी मय गै.मु. रास्ता**

प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 द्रोपदीदेवी पत्नी तेजाराम, रणजीत पुत्र तेजाराम, उर्मिलादेवी पुत्री तेजाराम, सन्तरोदेवी पुत्री तेजाराम, मैनाकुमारी पुत्री तेजाराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 18/0.012 हैक्टेयर(दक्षिणी पासा), 22/0.088 हैक्टेयर(पूर्वी पासा), 23/0.253 = 0.353 हैक्टेयर नाली दोयम, पत्थर नम्बर 64/365 मु.न. 37 किला नम्बर 1 ता 4, 7/0.089(उतरी पासा) = **1.101 हैक्टेयर नाली दोयम**

कुल = **1.454 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

प्रतिवादी संख्या 10 पूर्णराम पुत्र सांवताराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/364 मु.न. 30 किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 21, 22/0.165(पश्चिमी पासा) = **1.430 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

प्रतिवादी संख्या 11 चतरूराम पुत्र लाधुराम

चक 7 एसजीएम पत्थर नम्बर 64/365 मु.न. 37 किला नम्बर 7/0.164(दक्षिणी पासा), 8 ता 10, 12/1/0.0130, 13, 14 = **1.442 हैक्टेयर नाली दोयम खातेदारी भूमि,**

उक्त अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग किया जाता हैं। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03.12.2024 .. को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:25 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)